AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट एत्माद्दौला जनपद आगरा।   दिनांक 07.06.2022

थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ....

दिनांक 05.06.2022 को वादी ने थाने पर तहरीर दी कि मेरा भाई राशिद चांदी की पायल बनाने का काम शिवम के पास करता है। मेरा भाई अपनी नानी के यहां रहता था और 10–15 दिन बाद घर आ जाता है। जब वह काफी समय बाद घर नही आया तो मैंने अपनी नानी के पास फाने कर के पूछा तो नानी ने बताया कि मेरे पास शिवम का फोन आया था उसने मुझ से कहा कि शिवम को मैंने जरूरी काम से बाहर भेज दिया है। जब मैंने शिवम के घर जाकर जानकारी की तो पता चला की चांदी का काम तो हमने लोगों ने बन्द कर दिया है और शिवम 04.01.2022 करे दिन में अपने दोस्तों फैसल एंव अरमान के साथ चला कही चला गया है। राशिद, शिवम एवं दो लडको को मोटरसाइकिल व स्कूटी से फतेहाबाद की आते जाते देखा है। मेरे एक दोस्त ने बताया की मैंने शाम 07:30 बजे हाथी घाट के पास शिवम और नीरज तथा उनके एक साथी को मोटरसाइकिल पर ताजमहल की तरफ से आते देखा है। इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर मु0अ0सं0 319/22 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एत्माद्दौला को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 06.06.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र शाहदरा चुंगी पर गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्तगण इस समय यमुना ब्रिज घाट के पास आरपीएफ चैक पोस्ट के सामने माल गोदाम की दीवार के किनारे ठेल के पास कही जाने की फिराक में खडे है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख अभियुक्तगण भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तगण ने बताया कि शिवम का नमक की मण्डी में चांदी का काम था। राशिद भी शिवम के यहां चांदी का काम करता था। शिवम के यहां कई बार चांदी की चोरी हो गयी थी। जिसे राशिद द्वारा चोरी करना कबूल किया गया था। इसलिये हम तीनों ने राशिद को चबल नदी के पास ले जाकर केबिल से गला दबाकर उसे मारकर उसके शव को चंबल नदी में फेकने की योजना बनायी थी। दिनांक 05.01.2022 को आशीष की

मोटरसाइकिल पर राशिद को शिवम की दुकान से दिन में बैठाकर दोस्त नीरज और आशीष के साथ तथा एक स्कूटी जिस पर शिवम था के साथ फतेहाबाद रोड होते हुये चंबल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अचानक स्कूटी खराब हो जाने के कारण हमने स्कूटी फतेहाबाद रोड पर बडा कछपुरा में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर खडी करके हम चारों मोटरसाइकिल पर सवार हो कर चंबल नदी पर पहुंचकर हम तीनों केबिल के टुकडे से राशिद का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को चंबल नदी में फेक दिया। अभियुक्तगण की निशानदेही से मृतक की टी–शर्ट, जूता आलाकत्ल(केबिल का टुकडा), बाल व अभियुक्त की टी–शर्ट बरामद हुयी

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में 302/201/34 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. शिवम राजपूत पुत्र राधेश्याम निवासी नगला देवजीत थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. आशीष कुमार पुत्र भगवान दास निवासी नई आबादी कछपुरा थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
03. नीरज पुत्र भूपसिंह कुशवाह निवासी जसवन्तनगर थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :–

01. टी–शर्ट (मृतक की)
02. जूते (मृतक के)
03. टी–शट (अभियुक्त की)
04. आलाकत्ल (केबिल का टुकडा)।
05. बाल।
06. 01 स्कूटी ।
07. 01 मोटर साइकिल ।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 319/22 धारा 364/302/201/34 भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यदेव शर्मा थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. उ0नि0 राजकुमार कुशवाह, उ0नि0 प्रशान्त सिंह व उ0नि0 अमित अशोक, उ0नि0 योगेश कुमार, उ0नि0 मनवीर सिंह, उ0नि0 सुशील कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
03. है0का0 रविकान्त थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
04. का0 सौरभ कुमार, का0 आनन्द सांगवान व का0 अनुराग थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।